प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

न्यायपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्र. 146 /1993

सुन्दर एवं अन्य

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य
(वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)
एवं
संबंधित दांडिक अपील क्र. 419 /1993

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ हेतु
सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

माननीय श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ,
सही/-
मुख्य न्यायमूर्ति

दिनांक 10/08/2010 को निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

न्यायपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्र. 146 /1993

अपीलार्थीगण :

1. सुन्दर पिता – दउवा सतनामी, उम्र लगभग 40 वर्ष,
2. मनीराम पिता कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 19 वर्ष,
3. तितरा पिता कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 26 वर्ष,
4. सहदेव पिता कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 24 वर्ष,
5. मुन्नाराम पिता कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 20 वर्ष,
6. सीताराम पिता कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 22 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम होंगरा डोंगरी, थाना- पंडरिया, जिला – बिलासपुर (म. प्र.) (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना- पंडरिया, बिलासपुर

एवं

दांडिक अपील क्र. 419/1993

अपीलार्थीगण :

1. डेरहा– तोरण सतनामी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी सनकपाट, जिला – बिलासपुर (म. प्र.) (वर्तमान छ.ग.)
2. कार्तिक पिता भगत सतनामी, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी सनकपाट, जिला – बिलासपुर (म. प्र.) (वर्तमान छ.ग.)
3. सुन्दर पिता – दव्या सतनामी, उम्र लगभग 40 वर्ष,
4. मनीराम पिता कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 19 वर्ष,
5. तितरा (त्रुटिवश तोतरा लिखा गया) पिता कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 28 वर्ष,

6. सहदेव पिता कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 24 वर्ष,
7. मुन्नाराम (त्रुटिवश मनीराम लिखा गया)पिता कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 20 वर्ष,
8. सीताराम पिता कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 22 वर्ष, अपीलार्थी क्रं. 3 से 8 निवासी ग्राम होंगरा डोंगरी, थाना-पंडरिया, जिला – बिलासपुर (म. प्र.) (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

//बनाम//

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना-पंडरिया, बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहित,1973

उपस्थित: दांडिक अपील क्र. 146 /1993 में अपीलार्थीगण हेतु अधिवक्ता श्री योगेश्वर शर्मा, उपस्थित।

दांडिक अपील क्र. 419 /1993 में अपीलार्थीगण हेतु अधिवक्ता श्रीमति रेनू कोचर, उपस्थित।

दोनों अपील में प्रत्यर्थी / राज्य हेतु श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

निर्णय

(दिनांक 10.08.2010)

निम्नलिखित न्यायलीन निर्णय **सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति** के द्वारा उद्घोषित किया गया

1. ये अपीलें सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में तृतीय अपर न्यायाधीश द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 152/88 में पारित निर्णय दिनांक 4 फरवरी, 1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 100/- रुपये के अर्थदंड अधिरोपित किया गया था तथा आजीवन कारावास और 100/- रुपये के अर्थदंड अधिरोपित करते हुए दंडादेश सुनाया गया था ।

3. संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11 व्यक्तियों पर भा.द.सं. की धारा 147, 302/149 और 323/149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विचारण किया गया। आरोप अधिरोपित किया गया है कि दिनांक 29.1.88 को लगभग 9 बजे सुबह उन्होंने एक विधि विरुद्ध जमाव गठित किया, बलवा में भाग लिया और उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्राधता में बाबा की हत्या कर दी और तुलसी राम (अभि.सा.-8) को चोटें पहुंचाईं। अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि दिनांक 29.1.88 को लगभग 9 बजे सुबह मृतक-बाबा और तुलसी राम (अभि.सा.-8) गांव बघरैटोला से गांव सनकपाट लौट रहे थे। रास्ते में, जब वे जियाराम के खेत के पास पहुंचे, तो 11 अभियुक्तों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उन पर फरसा (बसुला) और लाठियों से हमला कर दिया। हमले के बाद तुलसी राम अपने गांव गया और ग्रामीणों और अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया। मृतक की पत्नी माहरीन बाई (अभि.सा.-12) भी घटनास्थल पर पहुंची। मृतक को उसके घर ले जाया गया। अभियोजन पक्ष का आगे का प्रकरण यह है कि गांव की सरपंच जानकी बाई (अभि.सा.-10) और उनके पति लक्ष्मीनारायण तिवारी (अभि.सा.-14) भी मृतक

के घर गए थे। मृतक- बाबा और घायल तुलसी राम दोनों ने मृत्यु कालिक कथन दिए, जिन्हें उनके द्वारा प्र.-पी/10 और प्र.-पी/11 के रूप में दर्ज किया गया था। तुलसी राम (अभि.सा.-8) द्वारा संबंधित पुलिस थाना को उसी दिन रात लगभग 10.30 बजे घटना की सूचना दी गई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.-पी/6) दर्ज की गई थी। मृतक बाबा की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। सभी 11 व्यक्तियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था। विद्वान सत्र न्यायालय ने तुलसी राम (अभि.सा.-8) के अभिसाक्ष्य और मृतक बाबा (प्र.-पी/10) द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन की विषयवस्तु पर भी अवलंब लेते हुए, जिसमें उन्होंने 8 अभियुक्तों (यहाँ अपीलकर्ताओं) के नाम लिए थे तथा उन्हे दोषी ठहराया गया और उन्हें उपरोक्तानुसार सजा सुनाई गई। हालाँकि, तीन अभियुक्तों, जिनके नाम मृत्यु पूर्व कथन में नहीं थे, को दोषमुक्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश्वर शर्मा और श्रीमती रेणु कोचर ने तर्क दिया कि तुलसी राम (अभि.सा.-8) विश्वसनीय गवाह नहीं था; उसने एफआईआर (प्र.-पी/6) में 11 व्यक्तियों के नाम लिए थे परंतु विचारण में उसने उनमें से एक को दोषमुक्त कर दिया। घायल तुलसी राम को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजने के लिए तैयार किए गए अनुरोध में और शव को परीक्षण के लिए भेजने के लिए तैयार किए गए अनुरोध में, हमलावरों के रूप में केवल 3 अभियुक्त व्यक्तियों जो डेरहा, कार्तिक और सुंदर है के नाम का उल्लेख किया गया था। यह तुलसी राम (अभि.सा.-8) द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर था। यह एफआईआर की सामग्री को गलत साबित करता है और उसकी साक्ष्य पर संदेह पैदा करता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तुलसी राम (अभि.सा.-8) ने विभिन्न चरणों में विभिन्न संख्या में व्यक्तियों को शामिल करने की कोशिश की थी और वह स्थिर नहीं था। मृत्युकालिक कथन के बारे में

उन्होंने तर्क दिया कि जानकी बाई (अभि.सा.-10), लक्ष्मीनारायण तिवारी (अभि.सा.-14) और गोकरण (अभि.सा.-16) के साक्ष्य के आधार पर मृत्युकालिक कथन अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. निस्संदेह, दोषसिद्धि तुलसी राम (अभि.सा.-8) के अभिसाक्ष्य और मृत्युकालिक कथन (प्र.-पी/10) की विषय-वस्तु पर आधारित है।

8. तुलसी राम (अभि.सा.--8) घटना का एकमात्र प्रत्ययक्षदर्शी गवाह है। उसने अभिकथन किया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सुबह लगभग 9 बजे जब वे घटनास्थल के पास पहुंचे तो उसने 10 अभियुक्तों को देखा। वे सुंदर, डेरहा, कार्तिक, तितरा, मुन्ना, मणि, सहदेव, सीता, स्वारथ और दाखिन थे। वे जियाराम के खेत में बैठे थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उपरोक्त 10 अभियुक्तों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अभियुक्त- कार्तिक एक फरसा (बसुला) पकड़े हुए था और अन्य सभी अभियुक्तगण लाठियां पकड़े हुए थे। उन सभी ने मृतक पर हमला किया। इसके बाद सुंदर और डेरहा ने उस पर (तुलसी) हमला किया। इन लोगों के अलावा किसी ने उस पर हमला नहीं किया था। जब वह गिर गया तो अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गए। उसके अनुसार, वह बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वह मृतक को वहीं छोड़कर लगभग 11-12 बजे

अपने घर चला गया। उसके बाद वह घटनास्थल पर कभी वापस नहीं गया। उसने एफआईआर दर्ज कराने की बात स्वीकार की (प्र.-पी/6)। हम देखते हैं कि एफआईआर में उसने 11 अभियुक्तों के नाम बताए थे, जबकि न्यायालीन साक्ष्य में उसने केवल 10 अभियुक्तों के नाम बताए थे। उसके न्यायालीन साक्ष्य, एफआईआर और धारा 161 के कथन (प्र.-डी/1) में मारपीट से संबंधित कुछ विरोधाभास हैं। उसने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 11 में स्वीकार किया कि गाँव में दो समूह हैं। अभियुक्तगण एक समूह से संबंधित हैं तथा उसका परिवार दूसरे समूह से संबंधित है। उसने आगे स्वीकार किया कि धारा 107 और 116 द.प्र.सं. के तहत कार्यवाही उसके परिवार के सदस्यों के हुई थीं और उनके बीच ज़मीन का विवाद था। यह विवाद फसल काटने को लेकर था। अभियुक्तगण अलग-अलग गाँवों से मज़दूरों को बुलाकर अपनी फसल कटवाते थे। उपरोक्त के अलावा, हम यह भी देखते हैं कि इस गवाह (अभि.सा.-8) की चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजे गए अनुरोध में यह उल्लेख किया गया है कि केवल 3 अभियुक्तों ने उस पर लाठियों से हमला किया। वे डेरहा, कार्तिक और सुंदर थे। हम आगे देखते हैं कि मृतक के शव परीक्षण के लिए अनुरोध में भी, अपराध से संबंधित पुलिस से जानकारी के लिए बने कॉलम में, फिर से हमलावरों के रूप में केवल उपरोक्त तीन अभियुक्तों के नाम का उल्लेख किया गया है। यहां तक कि किसी ने दबी जुबान से भी नहीं कहा है कि उनके साथ अन्य व्यक्ति भी थे। इस गवाह से प्रतिपरीक्षण में इस विसंगति के बारे में पूछा गया था। उसने कंडिका-13 के अनुसार गवाही दी कि जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो संबंधित अधिकारी ने उनसे पूछा कि उन पर हमला किसने किया और उसने सभी हमलावरों के नाम बताए और उसने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि उन्होंने उस समय केवल उपरोक्त 3 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया था उसने गवाही दी कि वे यह नहीं बता सकते कि जाँच अधिकारी ने इन दस्तावेज़ों में सिर्फ़ तीन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लोगों के नाम कैसे लिखे। निसंदेह, एफ.आई.आर. (प्र.-पी/6) दिनांक 29.1.88 को रात लगभग 10.30 बजे दर्ज की गई थी और इस गवाह का चिकित्सकीय परीक्षण रात 11.15 बजे किया गया था, जिससे पता चलता है कि उसे अस्पताल भेजने का आदेश एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद तैयार किया गया था। अगर एफ.आई.आर. में आरोपित 11 व्यक्ति थे, हमले में शामिल थे और अभि.सा.- 8 द्वारा पुलिस को बताया गया था, पुलिस अधिकारी के पास उपरोक्त दस्तावेजों में केवल 3 आरोपी व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं था।

9. **बलाका सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1975 एससी 1962** में, 9 अभियुक्तों में से 4 के नाम मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन में गायब थे। अभियोजन पक्ष के द्वारा इस विलोपन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अभियोजन पक्ष का अभियुक्तपक्ष के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिनिर्णित किया है कि इस चूक से 4 अभियुक्तों की मिलीभगत पर संदेह पैदा होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईआर संबंधित अधिकारी द्वारा समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किए जाने के बाद लिखी गई थी। यह अधिनिर्णित किया गया कि इस प्रकार एफआईआर ने अपनी प्रामाणिकता खो दी है। वर्तमान मामले में हमें लगभग ऐसी ही स्थिति मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईआर रात 10.30 बजे नहीं लिखी गई थी और इसे बाद में किसी चरण में लिखा गया था, विशेषकर 2 अनुरोध ज्ञापन तैयार करने के बाद, एक तुलसी राम (अभि.सा.-8) की परीक्षण के लिए और दूसरा मृतक-बाबा के शव के परीक्षण के लिए। एक तरफ यह एफआईआर तथा अभियोजन पक्ष की कहानी की पवित्रता पर संदेह उत्पन्न करता है तथा अभि.सा.- 8 के आचरण को उजागर करता है, जिसमें उसने एफआईआर में हमलावरों के रूप में अधिक से अधिक व्यक्तियों के नाम शामिल किए हैं तथा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं कि वे भी घातक हथियारों के साथ घटना में शामिल थे, तथा दूसरी ओर यह अभि.सा.- 8 की गवाही पर भी संदेह उत्पन्न करता है।

10. हम देखते हैं कि तुलसी राम (अभि.सा.-8) को जब अस्पताल भेज गया था तब सबसे पहले उसने 3 अभियुक्तों के नाम बताए थे उसके बाद उसने एफआईआर में 11 अभियुक्तों के नाम बताए और फिर अपने न्यायालीन साक्ष्य में उसने उनमें से एक को उन्मोचित कर दिया और केवल 10 अभियुक्तों के नाम लिए।

11. **जगदीश प्रसाद एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं बावन कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1994 एससी 1251** में सर्वोच्च न्यायालय ने इस परिस्थिति को उस एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी के लिए घातक माना है, जिसके अभियुक्तों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे। अन्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उस एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को गंभीर संदेह और तात्विक विवरणों में विसंगति से घिरा हुआ माना, जो अपनी गवाही में एक अभियुक्त का नाम छोड़कर उसे उन्मोचित करने में सहायता कर रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. सम्पूर्ण साक्ष्य का अध्ययन करने के पश्चात, हम पाते हैं कि इस गवाह (अभि.सा.-8) की गवाही विश्वसनीय नहीं थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि उसकी गवाही एक सी नहीं थी; उसने अलग-अलग समय पर अलग-अलग अभिकथन किया; उसने एफआईआर में 11 व्यक्तियों को फंसाने का प्रयास किया; तथापि, उसने जानबूझकर उनमें से एक को न्यायलीन साक्ष्य में उन्मोचित कर दिया; उसके संबंध अभियुक्तों के साथ

शत्रुतापूर्ण था, और उपरोक्त कारणों से उसकी गवाही को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

13. अब हम सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन का परीक्षण करेंगे।

14. प्र.-पी/10 मृतक बाबा पिता भक्तू का मृत्युकालिक कथन है। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष थी। यह बताया गया है कि इस मृत्युकालिक कथन को लक्ष्मीनारायण तिवारी (अभि.सा.-14) ने लिखा है। वे गाँव की सरपंच जानकी बाई (अभि.सा.-10) के पति थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 29.1.1988 को घटना के बाद मृतक का बेटा सरपंच के घर गया था। इसके बाद सरपंच और उनके पति मृतक के घर गए थे। उन्होंने मृतक को घायल अवस्था में देखा। इस पर उन्होंने स्वतः मृत्युकालिक कथन दर्ज कराया। इन गवाहों के अनुसार, सरपंच जानकी बाई ने बाबा से पूछा, जिन्होंने घोषणा की थी कि मृत्युकालिक कथन में नामित 8 अभियुक्तों ने उन पर हमला किया था। बाबा से सुनने के बाद, जानकी बाई (अभि.सा.-10) ने मृत्युकालिक कथन में बतायें अनुसार बयान को लिखवाया था जिसे उसके पति लक्ष्मीनारायण तिवारी (अभि.सा.-14) ने लिखा था। मृत्युकालिक कथन में 7 गवाहों के अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर हैं। इसमें मृत्युकालिक कथन लिखने वाले लक्ष्मीनारायण तिवारी के भी हस्ताक्षर हैं। इन गवाहों, यानी जानकी बाई (अभि.सा.-10) और लक्ष्मीनारायण तिवारी (अभि.सा.-14) का आचरण अस्वाभाविक प्रतीत होता है। यह बिल्कुल अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि उन्होंने पुलिस के हस्तक्षेप के बिना भी मृतक का ऐसा कथन दर्ज करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में सरपंच का स्वाभाविक आचरण तुरंत पुलिस को मामले की सूचना देना, घायल के इलाज की आवश्यक व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना होता कि उसे तुरंत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निकटतम चिकित्सा केंद्र में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने यह सब नहीं किया और सबसे पहले उन्होंने सनकपाट गाँव में मृतक का उपरोक्त मृत्युकालिक कथन दर्ज किया और उसके बाद वे स्वतः संज्ञान लेकर और एक अन्य घायल तुलसी राम (अभि.सा.-8) का मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए झिंगीपारा गाँव गए। उन्होंने इसे प्र.-पी/11 की तरह दर्ज किया। उपरोक्त के अलावा, प्रथम दृष्टया मृत्युकालिक कथन संदिग्ध प्रतीत होता है। मृत्युकालिक कथन में अभियुक्तों के नाम उनके पिता के नाम और गाँव के नाम के साथ लिखे गए हैं मानो पूरी पहचान उजागर हो गई हो और उनकी पहचान में गलती की कोई गुंजाइश ही न हो। हमें संदेह है कि मृत्युशय्या पर पड़ा कोई व्यक्ति इस तरह से कथन देगा। हम आगे यह भी देखते हैं कि मृत्युकालिक बयान में मृतक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है। जानकी बाई (अभि.सा.-10) के अनुसार, मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय मृतक पूरी तरह होश में था। अभि.सा.-10 ने साक्ष्य दी कि उसने मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान देखे। मृतक ने उसके हाथ पकड़े और 8 अभियुक्तों द्वारा उस पर किए गए हमले के बारे में बताया। यदि मृतक अभि.सा.- 10 के हाथ पकड़ सकता था, तो उसे मृत्यु पूर्व कथन पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना चाहिए था। हमें यह विसंगति इस आधार पर दिखाई देती है कि कम से कम 7 लोगों ने गवाह के तौर पर मृत्यु पूर्व कथन पर हस्ताक्षर किए हैं। उनमें से दो ने अपने अंगूठे के निशान भी लगाए हैं। इससे पता चलता है कि मृत्यु पूर्व कथन दर्ज करते समय हर संभव व्यवस्था थी और मृतक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना कोई असंभव काम नहीं था। जब गवाह हस्ताक्षर कर सकते थे और अंगूठे का निशान लगा सकते थे, तो घोषणाकर्ता, जो अभि.सा.-10 के दावे के अनुसार पूरी तरह होश में था, उक्त दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान क्यों नहीं लगाएगा। लक्ष्मीनारायण तिवारी (अभि.सा.-14) ने भी मृत्यु पूर्व कथन पर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हस्ताक्षर किए हैं। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मृत्यु पूर्व कथन दर्ज करते समय अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसने अलग तारीख को अपने हस्ताक्षर दस्तावेज़ पर किए जब पुलिस अधिकारी उस दस्तावेज़ के बारे में उससे पूछताछ कर रहे थे। हमारी राय में, यह दस्तावेज़ में हेरफेर के बराबर है। यदि वास्तव में दस्तावेज़ वास्तविक था, तो इसे अपने मूल रूप में रखा जाना चाहिए था और इस पर कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए था। अभि.सा.-14 ने प्रतिपरिक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने धारा 161 के कथन (प्र.-डी/3) में कहा था कि बाबा बोलने में असमर्थ थे और वह बहुत धीरे-धीरे बता रहे थे। उन्होंने पुलिस के सामने यह बयान देने से इनकार कर दिया। आगे धारा 161 के कथन में, उसने कहा कि बाबा मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के बाद बेहोश हो गए था, लेकिन न्यायालय साक्ष्य में उसने फिर से पुलिस को ऐसा बयान देने से इनकार कर दिया। मृत्यु पूर्व कथन के एक अन्य साक्षी गोकरण (अभि.सा.-16) से भी पूछताछ की गई है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि जानकी बाई (अभि.सा.-10) ने मृतक का कथन लिया था और इसे उसके पति (अभि.सा.-14) ने कलमबद्ध किया था। उसने प्रतिपरीक्षण के पहले ही वाक्य में स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि घटना के कितने दिनों बाद जानकी बाई ने मृतक का कथन दर्ज कराया था। यह बहुत अस्वाभाविक है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृत्यु पूर्व कथन उसी दिन दर्ज किया गया था। गाँव में हर कोई जानता था कि मृतक पर सुबह हमला हुआ था। इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य के आलोक में, मृत्यु पूर्व कथन की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। अपने धारा 161 के कथन (प्र.-डी/4) में, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि बाबा बात नहीं कर रहा था और फिर उसने कथन वह काफी देर बाद बेहोश हो गया, लेकिन उसने न्यायालय में इन सब बातों से इनकार किया। जब उसे उपरोक्त कथन प्रदर्श.-डी/4 के साथ सामना कराया गया, तो भी उसने इनकार किया पुलिस को ऐसा बयान दिया था। अपने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिपरीक्षण के अंतिम कंडिका में, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने मृतक द्वारा कही गई कोई बात नहीं सुनी। लक्ष्मीनारायण ने उसे बताया कि मृतक ने उपरोक्त तरीके से कथन किया है, उसने उससे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, इसलिए उसने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर दिया।

15. एक और कारण है जो मृत्युकालिक कथन की वास्तविकता पर संदेह पैदा करता है। माहरीन बाई (अभि.सा.-12) मृतक की पत्नी है। उसने गवाही दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन तुलसी राम (अभि.सा.-8) उसके घर आया और बताया कि खेत में झगड़ा हुआ है। यह सुनकर वह खेत में गई और अपने पति को अपने घर ले आई। अपने घर से वह उसे पुलिस थाना पंडरिया ले गई। वह पूरे समय उसके साथ थी। वास्तव में, उसके पति का मृत शरीर पुलिस थाना ले जाया गया था। उसके साक्ष्य में सरपंच या उसके पति द्वारा मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। माहरीन बाई (अभि.सा.-12) के साक्ष्य के अनुसार, वह अपने पति के मृत्यु तक उसके साथ मौजूद थी। यदि मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया होता, तो वह यह देखी होगी, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है। इन सभी कारणों से-हम मृत्युकालिक कथन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश इन पहलुओं पर विचार करने में विफल रहा हमारा विचार है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्त कारणों से, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश निरस्त किए जाते हैं। उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता सुंदर किसी चूक के कारण जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में

उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। अन्य अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके बांध पत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभूति उन्मोचित किए जाते हैं।

सही/-
मुख्य न्यायमूर्ति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ... Niraj Baghel, Advocate